



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

(I.S.O. 9001:2008 एवं I.S.O. 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक - 168A/4/ई0ई0/जोन-1/2018

दिनांक - 20/01/2018

सेवा में,

मैसर्स के0 डब्ल्यू0 होम्स

राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद।

विषय:- राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में सीवर कनेक्शन चार्ज जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में सीवर लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा सीवर को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ दिया गया है। आपके द्वारा निर्मित किये गये गुप हाउसिंग/व्यवसायिक अपार्टमेंट के सम्मुख प्राधिकरण द्वारा डाली गई सीवर लाईन में सीवर कनेक्शन हेतु सीवर कनेक्शन चार्ज प्रति कनेक्शन रू0 50,000/- प्राधिकरण कोष में जमा कराने का कष्ट करे एवं जमा की गई धनराशि की रसीद अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे। आप द्वारा निर्मित अपार्टमेंट से प्राधिकरण द्वारा डाली गई सीवर लाईन में कनेक्शन हेतु सीवर लाईन/कनेक्शन आदि आप द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जायेगा।


20/01

(आर० पी० सिंह)

अधिसासी अभियन्ता,
अभियन्त्रण जोन-1